छोटे उद्यमियों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 15 अगस्त से

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की सूक्ष्म इकाइयों को पंजीकरण के दायरे में लाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना प्रदेश में 15 अगस्त से संचालित की जाएगी। योजना के तहत इस श्रेणी से जुड़े उद्यमी की दुर्घटना या स्थायी अपंगता की स्थिति में पांच लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के दायरे में 18 से 60 वर्ष तक के वैसे सभी छोटे उद्यमी आएंगे जो कहीं पंजीकृत नहीं हैं। चालू वित्तीय वर्ष में पंजीकरण के इस दायरे में आने वाले सभी उद्यमियों को 30 जून 2024 तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। फिलहाल उद्यमियों के लिए यह योजना अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी। बता दें कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र की लगभग 90 लाख इकाइयां हैं, इनमें महज 14 लाख (करीब 15 प्रतिशत) ही उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। इन इकाइयों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए सूक्ष्म इकाइयों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें बीमा योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में योजना का संचालन एमएसएमई विभाग द्वारा किया जाएगा। जीएसटी के दायरे में आने वाले उद्यमियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें जीएसटी विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ पूर्व से मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि 40 लाख या इससे अधिक टर्नओवर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, वहीं सेवा क्षेत्र के लिए यह सीमा 20 लाख है।

49 हजार स्वयं सहायता समूहों के खाते में भेजे 350 करोड़

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 49 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के खातों में 350 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं सहायता समूहों के खाते में आनलाइन यह राशि ट्रांसफर की। इन स्वयं सहायता समूहों से 5 .39 लाख सदस्य जुड़े हैं।